## अवधारणा नोटः राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार

### 1. प्रस्तावना

1.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के क्षेत्र में समग्र विकास और समग्र तथा स्थिर विकास की प्राप्ति के लक्ष्य से कारपोरेट पहल को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार की स्थापना की है।

1.2 कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के साथ, जिसमें धारा 135 के अधीन सीएसआर उपबंध शामिल हैं, से देश में सीएसआर की अनिवार्यता अब कारपोरेट कार्यप्रणाली का एक भाग बन गया है। कई कंपनियां अपने आसपास के समुदायों की बेहतरी के लिए परंपरागत रूप से सीएसआर कार्यकलाप चला रही हैं तथापि कानूनी अधिदेश के आरंभ से, अब इस दिशा में कंपनियों का योग अधिक सुव्यवस्थित हो गया है। अधिनियम की धारा 135 और उसके नियमों के अधीन निर्धारित ढांचा, अधिनियम के अधीन सीएसआर अधिदेश एक प्रयास है जिससे देश के सामने आने वाली विकास संबंधी चुनौती का सामना करने के लिए दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी का प्रयोग, विशेषज्ञता आदि के रूप में कारपोरेट पहल की जा सके। कंपनियों द्वारा की जाने वाली सीएसआर परियोजनाओं में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों के क्षेत्र में आ रही विशेष दिक्कतों के लिए नए समाधान मिलने की उम्मीद है।

1.3 ये पुरस्कार सीएसआर पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों और उस पर माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री के अनुमोदन के पश्चात् शुरू किए गए हैं।

### 2. पुरस्कारों का उद्देश्य

2.1 राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कारों का उद्देश्य निम्नलिखित प्रयास करना हैः

- उन कंपनियों को मान्यता देना जिन्होंने सहयोगी कार्यक्रम के माध्यम से सीएसआर पर स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण द्वारा व्यापार और समाज दोनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
- उन कंपनियों को मान्यता देना, जो अपने मूल व्यापार माडल में समेकित सुस्थिरता द्वारा परिवर्तन कर रहे हैं।
- मूल्य ऋंखला में जैव विविधता और पारिस्थितिकीय संरक्षण और सुस्थिर प्रबंधन के लिए उपाय कार्यान्वित करने वाली कंपनियों को मान्यता देना।

- नवीन दृष्टिकोण को स्वीकारना और विनियोग और प्रौद्योगिकी अपनाना जो समग्र और सुस्थिर विकास के लिए सुदृढ़ सीएसआर कार्यक्रम तैयार करने में सहायता करे।

2.2 पुरस्कार श्रेणियां और व्यापक क्षेत्रः राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कारों में 4 व्यापक क्षेत्रों में 4 श्रेणियों की कंपनियों के लिए पुरस्कारों की कुल संख्या 16 है। पुरस्कार प्रक्रिया में भाग लेने वाली 4 श्रेणी की कंपनियां निम्नलिखित हैं:

- वित्त वर्ष 2015-16 में 5 करोड़ रुपए के बराबर या उससे अधिक सीएसआर व्यय करने वाली कंपनियां (सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को छोड़कर)
- वित्त वर्ष 2015-16 में 5 करोड़ रुपए से कम सीएसआर व्यय करने वाली कंपनियां (सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को छोड़कर)
- वित्त वर्ष 2015-16 में 5 करोड़ रुपए के बराबर या उससे अधिक सीएसआर व्यय करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई)
- वित्त वर्ष 2015-16 में 5 करोड़ रुपए से कम सीएसआर व्यय करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई)

2.3 सीएसआर पुरस्कारों के चार व्यापक क्षेत्र निम्नलिखित होंगे, जिनके लिए आवेदक आवेदन करेंगे : -

- मानव विकास
- आर्थिक विकास
- समाज कल्याण
- पर्यावरण और सुस्थिर विकास

2.4 इसके अतिरिक्त, सीएसआर के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, भी प्रारंभ किया गया है। इस पुरस्कार के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमित होने से पहले के सीएसआर कार्यों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

## 3. प्रविष्टि का तरीका

### 3.1 प्रविष्टि के दो तरीके हैं - आवेदन द्वारा और नामांकन द्वारा

3.2 **आवेदन द्वारा प्रविष्टि**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 का अनुपालन करने वाली कंपनी उपयुक्त श्रेणियों में राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार के लिए विचार हेतु आवेदन करने के लिए पात्र है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम या प्रिंट (पेपर) द्वारा किया जा सकता है। ऑनलाइन और प्रिंट (पेपर) आवेदन के लिए यूज़र फ्रैंडली पोर्टल (http://national-csrawards.iica.in) तैयार है।

**नामांकन द्वारा प्रविष्टि**

3.2 नामांकन कोई भी कर सकता है। तथापि, नामित कंपनी को **http://national-csrawards.iica.in पर दिए दिशानिदेशों** के अनुसरण में विवरण प्रस्तुत करना होगा।

**4 पुरस्कार प्रशासन**

4.1 सैद्धांतिक अनुमोदन के अनुसार, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया गया है। संचालन समिति में भारत सरकार (एमसीए और लोक उद्यम विभाग), उद्योग चैम्बर (सीआईआई, फिक्की, एसोचैम और पीएचडीसीसीआई), व्यावसायिक संस्थाएं (आईसीएसआई, आईसीएआई, आईसीएमएआई) और आईआईसीए (डीजीएंड सीईओ, आईआईसीए और एक नोडल अधिकारी) का प्रतिनिधित्व है।

4.2 संचालन समिति द्वारा एक विस्तृत संचालन योजना जिसमें आवेदन प्रक्रिया की रूपरेखा, एक स्वतंत्र न्यायपीठ के माध्यम से आवेदन/नामांकन प्रविष्टियों की पृष्ठभूमि के सत्यापन को अनुमति दी गई है।

4.3 भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान-आईआईसीए, जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन एक विचारक मंडल और क्षमता निर्माण संस्थान है, को राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कारों के लिए कार्यान्वयन सहायता का दायित्व सौंपा गया है। यह संस्थान अब एक समर्पित सचिवालय के माध्यम से संचालन योजना के अनुसरण में विभिन्न चरणों का कार्यान्वयन कर रहा है।